कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2019–20 दिनांक : 15.07.2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–मुख्यालय

विषय :विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2021–22 के लिए शालादर्पण पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में निर्देश।

सत्र 2021–22 में राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से **संस्था प्रधान के द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि निम्नानुसार है** :–

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	16.07.2021	31.07.2021
(ब)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा / निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 10 दिवस में

उपरोक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्ते, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाईट education. rajasthan.gov.in /secondary के Scholarship Tab एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर दिनांक 16.07.2021 से ऑनलाईन उपलब्ध होगा। अतः आप अपने अधिनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही नव प्रवेशी विद्यार्थी द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्राप्त छात्रवृति आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

संलग्न : विभिन्न पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु दिशानिर्देश

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव समेकित कर अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव समेकित कर अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
3. उप शासन सचिव शिक्षा,(ग्रुप–1) विभाग राजस्थान,जयपुर।
4. उप शासन सचिव शिक्षा,(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान,जयपुर ।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।

6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेज कर निवेदन है कि उपरोक्त छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल टेब दिनांक 16.07.2021 से आरंभ करावें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को अपने अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय, ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधानों को समय पर शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर ऑनलाईन आवेदन भरवाने हेतु पाबन्द करते हुए प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
8. उपनिदेशक(योजना), कार्यालय हाजा ।
9. शालादर्पण प्रकोष्ठ, उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ।
10. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
11. शाला दर्पण प्रकोष्ठ,कार्यालय हाजा को लेख है कि एन.आई.सी.,राजस्थान सरकार, जयपुर से सम्पर्क कर उपरोक्त छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल टेब दिनांक 16.07.2021 से आरंभ कराना सुनिश्चित करावें।
12. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।

15.7.21

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 15.07.2021

विज्ञप्ति

सत्र 2021–22 में राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में एवं राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निम्नांकित पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के **स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल** के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication), जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। नवीन विद्यार्थी शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
1	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
2	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
3	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
4	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
5	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
6	पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
7	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
8	कारगिल युद्ध में अर्थात 01.04.1999 एवं इसके पश्चात युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
9	प्री–करगिल युद्धों में अर्थात 01.04.1999 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
10	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से शालादर्पण पोर्टल के अनुसार ऑनलाईन रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**16.07.2021**	**31.07.2021**

उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्ते, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वैबसाईट https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर उपलब्ध है।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2019–20 दिनांक :15.07.2021

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2021–22

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र / छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1. पात्रता एवं शर्ते :–

1. छात्र / छात्रा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का ही हो। छात्र / छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य, (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2. छात्र / छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र / छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) **आयकर दाता न हो**।
4. छात्र / छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र / छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75 / – प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125 / – प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :–

1. छात्र / छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	16.07.2021	31.07.2021

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 15.07.2021

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2021–22

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1. पात्रता/शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 09 व 10 के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियो को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है : (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 एवं 10)

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रुपये

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	16.07.2021	31.07.2021

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 15.07.2021

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2021–22

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

1.पात्रता/शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय)
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. छात्रवृत्ति प्राप्त करनें के लिए विद्यार्थी को कक्षा 6 से 10 तक क्रमोन्नत प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
5. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
6. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8. पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है :

विवरण	दरें (अधिकतम 10 माह के लिए)	
	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृति/माह	100रुपये	500 रुपये

3. छात्रवृति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
4. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**16.07.2021**	**31.07.2021**

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक :15.07.2021

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2021–22

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (UNCLEAN) छात्रवृत्ति

1.पात्रता/शर्ते :–

1. छात्र/छात्रा सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के परिवार का ही हो। (छात्र/छात्रा के परिवार का उक्त व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 01 से 10 तक के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
5. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

DAYSCHOLARS

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
1 से 10	225	750

HOSTELLERS (छात्रावासी)

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
3 से 10	700	1000

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण–पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

4. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	16.07.2021	31.07.2021

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 15.07.2021

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2021–22

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा संवर्ग (एम.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1.पात्रता/शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा अति पिछड़ा वर्ग का ही हो, छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय) (एम.बी.सी में 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया–लोहार,गाडोलिया 3.गूजर,गुर्जर 4राईका,रैबारी(देबासी) तथा 5.गडरिया (गाडरी),गायरी जातियां शामिल है)
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 06 से 10 तक के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
6. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
7. पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/– प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/– प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/– प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/– प्र.माह

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
5. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**16.07.2021**	**31.07.2021**

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 15.07.2021

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2021–22

प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति

1.पात्रता/शर्तें :–

1. छात्र/छात्रा प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो।
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलो के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	1 से 12	180/– प्र.माह

3. छात्रवृति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है:–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका–प्रमाणपत्र/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणितप्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	16.07.2021	31.07.2021

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रपत्र–4 "क"

(प्री–करगिल (1.4.99 से पूर्व) एवं पोस्ट–करगिल (1.4.99 के पश्चात्) युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृति आवेदन पत्र)

1. शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम ....
2. शहीद /स्थायी विकलांग होने की तारीख ....
3. रैंक/यूनिट नम्बर ....
4. शहीद / स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे। ....
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें । उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें। ....
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें) ....
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है ....
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता ....

प्रति हस्ताक्षर (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)	हस्ताक्षर विद्यार्थी	हस्ताक्षर अभिभावक

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 15.07.2021

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2021–22

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति

1.पात्रता/शर्तें :–

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो।
2. राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 11 व 12 की छात्राओं के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. किसी भी कक्षा में पढनें के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
5. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
6. पिछले सत्र 2020–21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021–22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार /आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) , जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	कक्षा	दरें (अधिकतम 10माह हेतु)
1	कक्षा 11 एवं 12	100/– प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :–

1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।
2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।
3. आधार कार्ड तथा जन–आधार कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणितप्रति)।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :–

विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	16.07.2021	31.07.2021

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति योजना
(सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र – ख)

क्रमांक : दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पद... संख्या.............................भूतपूर्व सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम... कक्षा.......................... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम..तहसील.. जिला... के मूल निवासी है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2021–22

विद्यार्थी का स्वप्रमाणित फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी...............................
(पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी

विद्यालय का नाम		:	....
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		:	....
विद्यार्थी का विवरण			
1	विद्यार्थी का नाम	:	....
2	जन्म तिथि	:	DD / MM / YYYY
3	धर्म (हिन्दु / मुस्लिम / सिख / ईसाई / पारसी / बौद्ध / जैन / अन्य)	:	....
4	लिंग(पुरूष / महिला / ट्रांसजेण्डर)	:	....
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:	....
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:	....
6	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता	:	....
7	गत वर्ष की कक्षा का क्रमोन्नत प्रमाण पत्र	:	कक्षा / पूर्णांक / प्राप्तांक / ग्रेड / प्रतिशत / कक्षा क्रमोन्नत
8	जाति वर्ग (अजा / अजजा / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / सामान्य / अल्पसंख्यक)	:	....
9	डे–स्कॉलर / हॉस्टलर	:	....
10	विद्यार्थी का आधार नम्बर / एनरोलमेंट नम्बर	:	....
11	जन–आधार / एक्नोलेजमेन्ट नम्बर	:	....
12	छात्र का बैक खाता जन–आधार कार्ड से लिंक है (हां / नहीं)	:	....
13	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:	
14	विद्यार्थी का ई–मेल आई.डी.	:	....
विद्यार्थी के परिवार का विवरण			
15	पिता का नाम	:	....
16	माता का नाम	:	....
17	संरक्षक का नाम (माता–पिता के जीवित ना होने पर)	:	....
18	परिवार की वार्षिक आय	:	....
19	स्थाई पता / जिले का नाम / राज्य का नाम	:	....
20	राशन कार्ड नम्बर	:	....
21	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां / नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:	....
22	केवल अस्वच्छकार योजनान्तर्गत अग्रलिखित प्रमाण–पत्र का उल्लेख करें जैसेः– (1) हाथ से मैला ढोने का, (2) टेनर और फ्लेयर्स (चर्म एवं चर्मशोध से संबंधित) (3) कचरा बीनने का, (4) जोखिम के कार्यो में लगे होने का		

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर ☑करें
1	माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का **आय स्वघोषणा–पत्र**	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की **अंकतालिका/क्रमोन्नत प्रमाण पत्र** (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का **जाति प्रमाण–पत्र** (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की **आधार कार्ड** तथा **जन–आधार/भामाशाह कार्ड** (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए **जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण–पत्र**	
6	माता–पिता के प्री–करगिल एवं पोस्ट–करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में **शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र**	
7	**भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र** (डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :– वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में ☑ का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं .... (माता–पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, जन–आधार कार्ड, सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा जन–आधार कार्ड से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जानें की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरूद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :   हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक   माता–पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा..पुत्र/पुत्री.. के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, जन–आधार कार्ड एवं आय घोषणा पत्र आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2021–22 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(विद्यार्थी के पिता/माता/संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्ष 2021–22 के लिए

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र..................

वर्ग(केटेगरी)..निवासी ....

....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय...............................रूपये है।

आय संबंधी उक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि मेरे द्वारा उद्घोषित आय गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

विद्यार्थी का नाम ....

विद्यार्थी की कक्षा ....

विद्यार्थी से घोषणाकर्ता का संबंध ....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता